रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 1997/वैशाख 4, 1919
No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 1997/VAISAKHA 4, 1919

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 346(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करती है तथा तत्कालिक खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301 तारीख 1 मार्च, 1971 में निम्नलिखित रूप में और संशोधन करती है :—

1. उक्त अधिसूचना में खंड (xiv) से (xx) और इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :—

(xiv) श्री पी. एन. माजी,
परियोजना अधिकारी
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
नई दिल्ली

(xv) डा.(श्रीमती) एस.बी. लाल,
अपर आचार्य,
फार्मेकोलाजी विभाग
आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्ली

(xvi) आचार्य, जवाहर एस. बापना,
आचार्य, न्यूरो फार्मेकोलॉजी तथा
निदेशक इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन बिहैवियर
एंड एप्लाइड साइन्सेज
झिलमिल, नई दिल्ली।

(xvii) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
भारसाधक जन स्वास्थ्य
तमिलनाडु

(xviii) कृषि निदेशक, बिहार
तथा
कृषि निदेशक, महाराष्ट्र

(xix) (क) डा. ए.डी. पवार,
सचिव (केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं रजिस्ट्रीकरण समिति) पादप संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय फरीदाबाद

(ख) निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ऑकुपेशनल हेल्थ
अहमदाबाद

(xx) डा० के. वी. राघवन,
निदेशक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, उप्पल रोड हैदराबाद

(xxi) डा० आर. आर. खान,
निदेशक, भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय

2. इस अधिसूचना के माध्यम से नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

[फा. सं.-19-4/91-पी.पी.-1]

अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सा. का. नि. सं. 301 तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा उसमें संशोधन किए गए थे ।

(i) सा. का. नि. 1216 तारीख 21 अगस्त, 1971
(ii) सा. का. नि. 478 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1976
(iii) का. आ. 848 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 1989
(iv) का. आ. 528 (अ) तारीख 19 जुलाई, 1993 तथा
(v) का. आ. 849 (अ) तारीख 20 अक्तूबर, 1996

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 1997

S. O. 346 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) the Central Government hereby nominates the following persons as member to the Central Insecticides Board and makes further amendments to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture and Community Development and Cooperation No. GSR 301, dated the 1st March, 1971 as follows :—

1. In the said notification, for clauses (XIV) to (XXI) and entries riating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(xiv) Shri P. N. Maji,
Project Officer
Ministry of Chemicals & Fertilizers (Department of Chemicals and perto-Chemicals),
New Delhi.

(xv) Dr. (Mrs.) S. B. Lal
Additional Professor
Department of Pharmacology
All India Institute of Medical Sciences,
New Delhi.

(xvi) Professor Jowahar S. Bapna
Professor, Neuropharmacology and Director,
Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, Jhilmil, New Delhi.

(xvii) Director of Health Services Incharge Public Health, Tamil Nadu.

(xviii) Director of Agriculture, Bihar and Director of Agriculture, Maharashtra.

(xix) (a) Dr. A. D. Pawar
Secretary (Central Insecticides Board and Registration Committee), Directorate of Plant Protection Quarantine & Storage, Faridabad.

(b) Director,
National Institute of Occupational Health,
Ahmedabad.

(xx) Dr. K. V. Raghavan
Director, Indian Institute of Chemicals Technology, Uppal Road, Hyderabad.

(xxi) Dr. R.R. Khan
Director, Government of India, Ministry of Environment & Forests".

2. The members nominated through this notification shall hold office for a period of three years from the date of the publication of this notification in the official Gazette.

[File No. 19-4/91-pp.I]
Anil Sinha, Jt. Secy.

Footnote :—The principal notification was punlished vide no. GSR 301, dated 1st March, 1971 and subsequently amended vide nos.

(i) G.S.R. 1216, dated the 21st August, 1971.
(ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1976.
(iii) S. O. 848(E) dated the 25th October, 1989.
(iv) S. O. 528(E) dated the 19th July, 1993 and
(v) S. O. 849(E) dated the 20th October, 1996.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997